अनुदान संख्या 47 – स्वास्थ्य विभाग
GRANT No. 47–DEPARTMENT OF HEALTH

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2747,42,00		3155,45,00	2988,97,91	–166,47,09
पूरक	Supplementary	408,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			355,70,00	238,46,00	–117,24,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					93,31,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (16647.09 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 40803.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 41 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.16647.09 lakhs) constituted 41 percent of the supplementary grants of Rs.40803.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2210''	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	215740.00	280262.72	269197.16	–11065.56
पू.	S.	34502.00			
पु.	R.	30020.72			
मुख्य शीर्ष ''2552''	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	18000.00	321.67	. .	–321.67
पू.	S.	4000.00			
पु.	R.	–21678.33			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	36161.00			
पू.	S.	2301.00	30132.71	24793.95	–5338.76
पु.	R.	–8329.29			
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments		2980.00	2996.43	+16.43

(I) 28760.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 28550.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 22000.00 लाख रु. (4000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और नवम्बर, 2004 में शुरू की गई परियोजना के चरण-I में मिजोरम राज्य को शामिल किए जाने की वजह से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के लिए निर्धारित बजट आबंटन का कम उपयोग गए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य स्वास्थ्य सेवाएं - क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता" - 1710.00 लाख रु. निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण थे क्योंकि सहायता अनुदान राज्य सरकारों के माध्यम से दिए जाने के स्थान पर समितियों को सीधे ही प्रदान किया गया था।

(I) Provision of Rs.28760.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.28550.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Provision for Porjects/Schemes for the Development of North Eastern Region including Sikkim" – Rs.22000.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.4000.00 lakhs) – due to re-appropriation of funds to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim and budgetary allocation earmarked for Integrated Disease Surveillance Programme could not be entirely utilised owing to the State of Mizoram was included in the Phase-I of the project, launched in November, 2004.

(B) Major Head "3601" –

(a) "Grants for Central Plan Schemes – Urban Health Services – Allopathy – Other Health Schemes – Assistance to States for Capacity Building" – Rs.1710.00 lakhs – due to change in funding pattern as Grants-in-aid were given to Societies directly instead through State Governments.

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण''-

(i) ''औषध परीक्षण सुविधाओं की वृद्धि (ई.ए.सी)'' - 850.00 लाख रु.;

(ii) ''खाद्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 700.00 लाख रु.;

(iii) ''औषध नियंत्रण संगठन का सुदृढ़ीकरण'' - 200.00 लाख रु.;

(iv) ''एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम सामान्य संघटक'' - 2690.00 लाख रु.; और

(v) ''खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम के लिए राज्य को सहायता'' - 400.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निधीयन पद्धति में परिवर्तन अर्थात व्यय राज्य सरकारों के माध्यम से किए जाने के माध्यम से किए जाने के स्थान पर सीधे ही कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम (ग्रामीण)(ई.ए.सी)'' के अंतर्गत 8600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 10900.00 लाख रु. कर दिया गया था। तथापि, 7862.01 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) राज्यों द्वारा पण्य अनुदान की कम आवश्यकता होने, बोली दस्तावेजों में आवश्यकता और विश्व स्वास्थ्य संगठन सामग्री विनिर्माण प्रक्रिया संबंधी अनिवार्य शर्त के बारे में विश्व बैंक द्वारा आपत्ति किए जाने की वजह से कीटनाशकों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी'' के अंतर्गत प्राप्त किया गय पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :-

(का) ''भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान'' - 17800.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7301.00

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases" -

(i) "Augmentation of Drugs Testing Facilities (E.A.C.)" – Rs.850.00 lakhs;

(ii) "Strengthening of Food Laboratories (E.A.C.)" – Rs.700.00 lakhs;

(iii) "Strengthening of Drug Control Organisation" – Rs.200.00 lakhs;

(iv) "Integrated Disease Surveillance Programme General Component" – Rs.2690.00 lakhs; and

(v) "Assistance to State for Prevention of Food Adulteration" – Rs.400.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to change in funding pattern i.e. direct expenditure by the implementing agencies instead through State Governments.

(II) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health– Prevention and Control of Diseases – National Anti-Malaria Programme (Rural)(E.A.C.)" – the original provision of Rs.8600.00 lakhs was augmented to Rs.10900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2300.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.7862.01 lakhs (including supplementary grant) due to less requirement of commodity grant by States and delay in procurement of insecticides etc. on account of objection of World Bank regarding mandatory clause on requirement and World Health Organisation Goods Manufacturing Process in the bid documents.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research – Allopathy" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each: -

(A) "Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi" – the original provision of

लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 25101.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सम्राट अशोक संस्थान, पटना के लिए निर्धारित उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्ताव के मूर्तरूप न ले पाने के कारण 356.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा क्योंकि प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सका था।

(खा) ''अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली'' - 28900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 34000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर और डा.बी.आर.अम्बेडकर रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान संबंधी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण 800.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और डिस्पेंसरियां - सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली'' - 818.21 लाख रु. की बचत (12280.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न उपस्करों की खरीद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (अधिप्राप्ति कक्ष) के माध्यम से किए जाने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और विद्युत एवं जल प्रभारों की दरसूची में अक्तूबर, 2004 से कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी''-

(क) ''लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के.अस्पताल, नई दिल्ली'' - 243.20 लाख रु. की बचत (6165.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कालेज/अस्पतालों की व्यापक पुनर्विकास योजना संबंधी प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी'' - 226.34 लाख रु. की बचत (3837.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हार्ट प्लग मशीन आदि जैसे

Rs.17800.00 lakhs was augmented to Rs.25101.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7301.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.356.00 lakhs - due to non-materialisation of proposal for procurement of equipments meant for Samrat Ashok Institute, Patna as it could not be approved by the Expenditure Finance Committee.

(B) “All India Institute of Medical Sciences, New Delhi” – the original provision of Rs.28900.00 lakhs was augmented to Rs.34000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.800.00 lakhs - due to non-approval of the proposal by the Finance Committee for Jayaprakash Narayan Apex Trauma Centre and Dr. B.R. Ambedkar Institute of Rotary Cancer Hospital.

(IV) Under Major Head – “2210” – savings occurred under the following heads: -

(A) “Urban Health Services – Allopathy – Hospitals and Dispensaries – Safdarjang Hospital, New Delhi” – saving of Rs.818.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12280.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals relating to purchase of various equipments through Directorate General of Health Services (Procurement Cell) and reduction in tariff of electricity and water charges from October, 2004.

(B) “Medical Education, Training and Research– Allopathy” -

(a) “Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital, New Delhi” – saving of Rs.243.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6165.00 lakhs) was due to non-approval of the proposal for comprehensive re-development plan of the College/Hospitals by the competent authority.

(b) “Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry” – saving of Rs.226.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3837.00 lakhs)

उपस्करों, औषधियों और उपभोज्य मदों की समय पर आपूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''एम्स की तरह के अत्यंत विशिष्ट अस्पताल एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन'' - 5384.14 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य कार्यकलापों के लिए आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन लंबित होने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा न होने के कारण हुई।

(गा) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना'' - 226.93 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, भवनों के किराए में संशोधन न होने, कम बिल प्राप्त होने और उपस्करों एवं लेखन सामग्री की मदों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास'' - 212.45 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा परिचारिकाओं के प्रशिक्षण संबंधी प्रस्ताव को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने और संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव के पूरे न होने के कारण हुई।

(ग) ''रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(i) ''राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान'' - 605.82 लाख रु. की बचत (2065.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, संस्थानों के लिए मशीनरी और उपस्करों की कम खरीद किए जाने और मरम्मत और रख-रखाव का कार्य कम किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम'' - 571.10 लाख रु. की बचत (5505.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

was due to non-supply of equipments like Heart Plug machine etc. drugs and consumable items in time.

(c) "Estt. of AIIMS type Super-Speciality Hospital - cum - Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals"– saving of Rs.5384.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to pending approval of Cabinet Committee of Economic Affairs for major activities and non-completion of administrative procedures.

(C) "Public Health" –

(a) "Direction and Administration – Port Health Establishment including Airport Organisation" – saving of Rs.226.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-revision of rent of buildings, less bills received and less purchase of equipments and stationery items.

(b) "Training – Development of Nursing Services"- saving of Rs.212.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to late approval of proposal for training of nurses by the Expenditure Finance Committee and non-completion of proposal received from the institutions.

(c) "Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Institute of Communicable Diseases" – saving of Rs.605.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2065.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less purchase of machinery and equipments for hospitals, dispensaries, institutes and less repair and maintenance work undertaken.

(ii) "National Anti-Malaria Programme" – saving of Rs.571.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5505.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(iii) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 888.64 लाख रु. की बचत (3788.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहु-औषध कुष्ठ रोग जिला समितियों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(iv) ''राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम'' - 1061.37 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को सक्षम प्राधिकारी द्वारा देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण'' -

(i) ''बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गुइंडी,मद्रास'' - 153.75 लाख रु. की बचत (605.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए मशीनरी, उपस्करों की कम खरीद किए जाने और मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य कम किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''भारतीय पास्चर संस्थान, कून्नूर को अनुदान'' - 203.68 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(घा) ''लोक स्वास्थ्य प्रचार - केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली'' - 139.16 लाख रु. की बचत (290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''अन्य व्यय - स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाविपदा के प्रति पूर्व तैयारी और प्रबंधन'' - 874.02 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वनिर्मित कंटेनर आधारित स्वत:पूर्ण सचल अस्पताल की खरीद के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(चा) ''सामान्य - स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण'' - 126.50 लाख रु. की बचत (224.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों की वजह से कार्यालयों, डिस्पेंसरियों

(iii) "National Leprosy Control Programme" – saving of Rs.888.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3788.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with Multi-Drug Leprosy District Societies and other implementing agencies.

(iv) "National Mental Health Programme" – saving of Rs.1061.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to late approval of the scheme by the competent authority.

(d) "Manufacture of Sera/Vaccine" -

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras" – saving of Rs.153.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.605.00 lakhs) was due to less purchase of machinery, equipments for hospitals and dispensaries and less repair and maintenance work undertaken.

(ii) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" – saving of Rs.203.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the Institute.

(D) "Public Health Publicity – Central Health Education Bureau, New Delhi" – saving of Rs.139.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290.00 lakhs) was due to less purchase of books, journals etc.

(E) "Other Expenditure – Health Sector Disaster Preparedness and Management" – saving of Rs.874.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-finalisation of International Competitive Bidding for the purchase of prefabricated self contained container based mobile hospital.

(F) "General – Health Statistics and Evaluation– Strengthening of Heath Information and Monitoring Systems" – saving of Rs.126.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.224.00 lakhs) was due to less purchase of miscellaneous items for day to day functioning of

और अस्पतालों के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए विविध मदों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

offices, dispensaries and hospitals owing to economy measures.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य स्वास्थ्य स्कीमें - कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम'' - 112.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश से पूरे प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Grants for Central Plan Schemes – Urban Health Services – Allopathy – Other Health Schemes – Cancer Research and Treatment Programme" – saving of Rs.112.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from Bihar, Gujarat, Rajasthan, Orrisa, Punjab and Madhya Pradesh.

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(क) ''राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)'' - 1641.63 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन पद्धति में परिवर्तन किए जाने के कारण हुई क्योंकि समितियों को सहायता अनुदान राज्य सरकारों के माध्यम से दिए जाने के स्थान पर सीधे ही प्रदान किया गया था।

(a) "National Trachoma and Blindness Control Programme (General Component)" – saving of Rs.1641.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to change in funding pattern as Grants-in-aid were given to Societies directly instead through State Governments.

(ख) ''काला - अजार नियंत्रण कार्यक्रम'' - 952.05 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा पण्य अनुदान की कम आवश्यकता होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत न किए जाने की वजह से राज्य सरकारों को नकद अनुदानों की द्वितीय किस्त जारी न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Kala-Azar Control Programme" – saving of Rs.952.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to less requirement of commodity grant by the States and non-release of second instalment of cash grants to State Governments for want of utilisation certificates.

(ग) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)'' - 200.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुष्ठ रोग की कम होती प्रवृत्ति की वजह से राज्य सरकारों से बहु-औषध चिकित्सा की कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "National Leprosy Control Programme (Externally Aided Component)" – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to less demand of Multi-Drug Therapy from State Governments owing to declining trend in Leprosy.

(घ) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)'' - 1095.35 लाख रु. की बचत (2510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों

(d) "National T.B. Control Programme (Externally Aided Component)" – saving of Rs.1095.35 lakhs (against the sanctioned

द्वारा पण्य अनुदान की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3606'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता - राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता'' - 182.57 लाख रु. की बचत (980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व स्वास्थ्य संगठन से सामग्री सहायता की कम प्राप्तियां होने के कारण हुई।

(खा) ''एड्स, क्षयरोग और मलेरिया का मुकाबला करने के लिए वैश्विक निधि से सहायता - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता'' - 300.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दानदाताओं से सामग्रियों की प्रत्याशा से कम प्राप्तियां होने और साथ ही औषधियों की दरों में कमी होने के कारण हुई।

(VII) पांच शीर्षों के अंतर्गत 333.89 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक से 58 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (25783.28 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मागों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी'' -

(i) ''केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - डिस्पेंसरियों/अस्पतालों की स्थापना'' - 7964.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7393.94 लाख रु. था।

(ii) ''अस्पताल और डिस्पेंसरियां'' -

provision of Rs.2510.00 lakhs) was due to less requirement of commodity grant by the State Governments.

(VI) Under Major Head "3606" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance from World Health Organisation – Material Assistance for National Leprosy Control Programme" – saving of Rs.182.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.980.00 lakhs) was due to less receipts of material assistance from World Health Organisation.

(B) "Assistance from Global Fund to fight AIDS, T.B. and Malaria – Material Assistance for National T.B. Control Programme" – saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to less receipts of materials from the donors than anticipated and also on account of reduction in rates of medicines.

(VII) Under five heads savings of Rs.333.89 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 58 percent of the sanctioned provision.

2. (I) The above savings were partly (Rs.25783.28 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads: -

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy" –

(i) "Central Government Health Scheme - Setting-up of Dispensaries/Hospitals" – Rs.7964.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7393.94 lakhs.

(ii) "Hospitals and Dispensaries" –

(1) ''डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली''- 315.08 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 251.77 लाख रु. था।

(2) ''केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची'' - 289.90 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 280.92 लाख रु. था।

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान -

(i) ''एलोपैथी'' -

(1) ''वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान'' - 290.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 289.00 लाख रु. था।

(2) ''राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 2000.00 लाख रु.।

(3) ''चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़'' - 2000.00 लाख रु.।

(4) ''सेवाग्राम में चिकित्सा कालेज के लिए कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा को अनुदान'' - 155.00 लाख रु.।

(ii) ''अन्य व्यय - निजी चिकित्सा कालेजों को आर्थिक सहायता'' - 138.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 137.98 लाख रु. था।

(ग) ''लोक स्वास्थ्य'' -

(i) ''रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(1) ''रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम'' - 1890.77 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1857.13 लाख रु. था।

(2) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 2161.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1528.34 लाख रु. था।

(1) “Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi” – Rs.315.08 lakhs. Actual excess, however, was Rs.251.77 lakhs.

(2) “Central Institute of Psychiatry, Ranchi” – Rs.289.90 lakhs. Actual excess, however, was Rs.280.92 lakhs.

(b) “Medical Education, Training and Research” –

(i) “Allopathy” –

(1) “Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi” – Rs.290.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.289.00 lakhs.

(2) “Grants to National Institute of Mental Health & Neuro-Science, Bangalore” – Rs.2000.00 lakhs.

(3) “Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh” – Rs.2000.00 lakhs.

(4) “Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram” – Rs.155.00 lakhs.

(ii) “Other Expenditure – Subvention to Private Medical Colleges” – Rs.138.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.137.98 lakhs.

(c) “Public Health” –

(i) “Prevention and Control of Diseases” –

(1) “Trachoma and Blindness Control Programme” – Rs.1890.77 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1857.13 lakhs.

(2) “National T.B. Control Programme” – Rs.2161.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1528.34 lakhs.

(ii) ''खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम'' - खाद्य अपमिश्रण संबंधी प्रशासन और उसकी रोकथाम'' - 1728.62 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1126.16 लाख रु. था।

(iii) ''औषध नियंत्रण - केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन''- 1151.96 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1045.27 लाख रु. था।

(iv) ''लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं - राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान'' - 2000.00 लाख रु.।

(v) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''राष्ट्रीय रोग सहायता निधि की स्थापना'' - 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 99.97 लाख रु. था।

(2) ''लाला राम स्वरूप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान'' - 357.00 लाख रु.।

(3) ''क्षमता निर्माण के लिए सहायता'' - 2329.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2328.65 लाख रु. था।

(4) ''एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम'' - 807.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 790.54 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - सामान्य (चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य) - अन्य अनुदान - गरीबों को अस्पताल में भर्ती किए जाने पर होने वाले व्यय के लिए सहायता''- 105.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 104.00 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2210'' -

(क) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन'' - 180.00 लाख रु. का अधिक

(ii) "Prevention of Food Adulteration – Administration & Prevention of Food Adulteration" – Rs.1728.62 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1126.16 lakhs.

(iii) "Drug Control – Central Drugs Standards Control Organisation" – Rs.1151.96 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1045.27 lakhs.

(iv) "Public Health Laboratories – National Institute of Biological Standardisation and Quality Control" – Rs.2000.00 lakhs.

(v) "Other Expenditure"–

(1) "Setting up of a National Illness Assistance Fund" – Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.99.97 lakhs.

(2) "Grants to Lala Ram Sarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi" – Rs.357.00 lakhs.

(3) "Assistance for Capacity Building" – Rs.2329.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2328.65 lakhs.

(4) "Integrated Disease Surveillance Programme" – Rs.807.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.790.54 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Non-plan Grants – General (Medical and Public Health) – Other Grants – Assistance towards expenditure on Hospitalisation of the Poor" – Rs.105.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.104.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2210" –

(a) "Urban Health Services – Allopathy – Other Expenditure – Hospital Waste

व्यय (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी''-

(i) ''पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान'' - 7000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''कैंसर अनुसंधान'' - 1281.10 लाख रु. का अधिक व्यय (4650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेडियो थेरेपी सुविधाओं के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों और चिकित्सा कालेजों के विकास पर व्यय में वृद्धि होने और साथ ही सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रयोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)'' - 4643.18 लाख रु. का अधिक व्यय (4026.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पण्य अनुदान पर अधिक व्यय होने और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3606'' - ''वैश्विक औषध सुविधा से सहायता - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता'' - 500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1100.00

Management" – excess the Rs.180.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs); and

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(i) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" – excess of Rs.7000.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(ii) "Cancer Research" – excess of Rs.1281.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4650.00 lakhs) was due to increased expenditure on development of additional Regional Cancer Centres and Medical Colleges for radio therapy facilities and also re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Anti-Malaria Programme (Rural) (General Component)" – excess of Rs.4643.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4026.00 lakhs) was due to increased expenditure on commodity grants to States/Union Territories and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(C) Major Head "3606" – "Assistance from Global Drug Facility – Material Assistance for National T.B. Control Programme" – excess of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वैश्विक विकास निधियों से अधिक सामग्री सहायता प्राप्त होने के कारण हुआ।

of Rs.1100.00 lakhs) was due to receipt of more material assistance from Global Development Funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4210” Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	35570.00	26239.00	23846.00	–2393.00
पु.	R.	–9331.00			

(I) 2350.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4210''- ''लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - खाद्य सुरक्षा और औषध गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी क्षमता निर्माण परियोजना के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद'' के अंतर्गत एक मामले में उपस्करों की अधिप्राप्ति के संबंध में व्यय को सीधे ही कार्यात्मक शीर्षों में लेखाबद्ध किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2350.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head “4210” – “Public Health – Prevention and Control of Diseases – Bulk Purchase of Material and Equipment for Capacity Building Project on Food Safety and Quality Control of Drugs” – due to direct booking of expenditure in the functional heads on procurement of equipments.

(II) मुख्य शीर्ष ''4210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(II) Under Major Head “4210” – savings occurred under the following heads: -

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं'' -

(A) “Urban Health Services” -

(क) ''चिकित्सा भंडार डिपो - डिपो'' - 488.86 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और अन्य स्थापना प्रभारों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(a) “Medical Store Depots – Depots” – saving of Rs.488.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and lesser expenditure on other establishment charges.

(ख) ''अन्य व्यय - भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद''- 1461.23 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वामित्व वाली मदों के सूत्रों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) “Other Expenditure – Purchase of Materials in India and Abroad” – saving of Rs.1461.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-finalisation of formulary of proprietory items.

(खा) ''लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण''-

(क) ''दृष्टिदोष की रोकथाम एवं अंधता नियंत्रण और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद'' - 163.79 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से नेत्र चिकित्सा कालेज/क्षेत्रीय संस्थान में आँखों की देखभाल सुविधा के उन्नयन के लिए निर्धारित नेत्र चिकित्सा संबंधी उन्नत उपस्करों की खरीद के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद'' - 1373.82 लाख रु. की बचत (4200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियां जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण हुई क्योंकि अधिप्राप्ति अभिकरण को अग्रिम केवल उन औषधियों की ट्रेंचों की लागत के लिए दिया गया था जो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हुई थीं।

(ग) ''राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम'' - 5821.47 लाख रु. की बचत (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)अधिदेश समूह द्वारा डी.डी.टी. की कम मात्रा को अनुमोदन प्रदान किए जाने और विश्व बैंक द्वारा उनके बोली दस्तावेजों में विश्व स्वास्थ्य संगठन - सामग्री विनिर्माण प्रक्रिया की आवश्यकता संबंधी अनिवार्य शर्त के बारे में आपत्ति किए जाने की वजह से औषधियों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(a) "Bulk Purchase of Material and Equipment for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness and Trachoma Control Programme" – saving of Rs.163.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-materialisation of purchase of advanced ophthalmic equipments stated for upgradations of Eye Care facility in Medical College/Regional Institute of Ophthalmic owing to late approval of Cabinet Committee on Economic Affairs.

(b) "Bulk Purchase of Material and Equipment for National Tuberculosis Control Programme" – saving of Rs.1373.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4200.00 lakhs) was due to restriction on release on funds as advance to the procurement agency only to the cost of tranches of drugs which were received during the financial year.

(c) "National Anti-Malaria Programme" – saving of Rs.5821.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs) was due to approval of less quantity of D.D.T. by Mandate Group and delay in procurement of drugs on account of objections by World Bank regarding mandatory clause on requirement of World Health Organisation - Goods Manufacturing Process in their bid document.